न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 126/2021
दिनांक : 29/09/2022

1. मैसर्स रॉयल आरकेड ट्रेवल केयर प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय– कोटावाला मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। जरिये निदेशक श्री आलोक कोटावाला पुत्र श्री हरिदास।

.........वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण
2. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण
3. गणेश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
4. छगनलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
5. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
6. रामकिशोर पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
7. श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
8. गोपाल पुत्र बीण्या जाति ब्राहम्ण
9. मोती पुत्र बीण्या जाति ब्राहम्ण
   निवासी ग्राम भांकरोटा कंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
    पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भांकरोटा कंला पटवार हल्का भांकरोटा कंला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी एंव प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1205/1 रकबा 0.2200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1206/1 रकबा 0.4600 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर स्थित है। जिसे की इस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का कुल हिस्सा 12/16 अर्थात 3/4 है एंव प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ का सयुंक्त हिस्सा का हिस्सा 1/4 है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ अपने–अपने हक व हिस्सेनुसार भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार स्वतन्त्र रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है एंव वर्तमान में भी वादी अपने हक व हिस्सा के अनुसार काबिज है, किन्तु वादग्रस्त भूमि का अन्तिम एंव कानूनी रूप से विधिवत् विभाजन नही होने से वादग्रस्त भूमि भू–राजस्व अभिलेखों में सयुंक्त कृषि जोत के रूप में अंकित है। इस प्रकार वादी खातेदार काश्तकार के रूप में वादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग एंव उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ की नियत में फितु[illegible] हिस्से में आई कृषि भूमि पर जोर जबरन से नाजायजपूर्वक कब्जा करना [illegible] और वादी को उसके हक व कब्जे काश्त की भूमि से नाजायज रूप से [illegible] और वादी के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पहुचाते है और वादग्र[illegible]मा कराये बिना वादग्रस्त भूमि को बेचना चाहते है, अवैध रूप से निर्माण करना चाहते [illegible]वैध रूप से रोड का निर्माण कर प्लांटिग करना चाहते है, प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ रोजाना अपरिचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आते है और वादी के हक, हिस्से कब्जे काश्त की भूमि से वादी को नाजायज रूप से बेदखल करने की धमकीयां देते रहते है, इस कारण वादी के हक में यह आवश्यक हो गया है कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपने दर्ज हक व हिस्सानुसार भूमि का विधिवत् रूप से तकासमा करावें तथा प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को उक्त कृत्य नही करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पाबन्द करायें। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को कई मर्तबा तकासमा हेतु निवेदन कर चुका है, किन्तु प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ ने तकासमा करवाने से आज तक इन्कार किया है तथा दिनांक 17–09–2021 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को अवैध रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नही करने, अवैध प्लाटिंग नही करनें, अवैध रोड नही निकालने एंव प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को तकासमा करने का निवेदन किया तो इससे प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ ने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि हम वादग्रस्त भूमि का कोई तकासमा नही करवायेगें तथा इसे अन्यत्र हस्तांतरित कर देगें तथा प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ ने कहा कि हम वादी के उपयोग एंव उपभोग में बाधा कारित करेगें, वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर इसकी किस्म बदल देगें, इस पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रोड निकाल देगें, जिसका की प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को कोई अधिकार नही है। वादी अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के दर्ज हिस्सा 3/4 के अनुसार भूमि का विधिवत् रूप से तकासमा करावें तथा विभाजित भूमि का पृथक से खाता कायम करावें तथा प्रतिवादी संख्या दस वादग्रस्त भूमि की सीमाओं का विनिश्चय कर सीमाओं का निर्धारण व पत्थरगढी करें तथा प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें कि वह बिना विधिवत तकासमा वादग्रस्त भूमि का विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें, वादग्रस्त भूमि पर कोई अवैध निर्माण कार्य, प्लाटिंग कार्य नही करें, अवैध रूप से सडक डालने का कार्य नही करें, वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत ना स्वंय करे और ना किसी अन्य से करावें तथा रिकार्ड एंव मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें, प्रतिवादी संख्या दस रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। वादी को वादकारण प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ के द्वारा दिनांक 17–09–2021 को वादग्रस्त भूमि बाबत विभाजन कराने से स्पष्ट इन्कार करने एंव अवैध निर्माण आदि करने व अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रोड निकाल देने की ऐलानिया धमकी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः वाद बाबत वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना वाद पत्र की मद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1205/1 रकबा 0.2200 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 1206/1 रकबा 0.4600 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर (जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र की मद संख्या एक में दिया हुआ है) वाके ग्राम भांकरोटा कंला पटवार हल्का भांकरोटा कंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के दर्ज हिस्सा 3/4 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर वादी के हक व हिस्सा की भूमि का लगान अलग से कायम किया जावें तथा पृथक से खाता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का विनिश्चय कर सीमाओं का निर्धारण व पत्थरगढी की जावें। प्रतिवादी संख्या एक लगायत नौ को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फर[illegible] लगायत नौ वादग्रस्त भूमि (जिसका वर्णन वाद पत्र की मद संख्या एक में दिय[illegible] वादी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में कोई बाधा या [illegible] संख्या एक लगायत नौ वादी के हक हिस्से की भूमि प[illegible] बेदखल करने की कार्यवाही नही करें, कोई गैर कानूनी [illegible] निर्माण कार्य, सडक डालने का कार्य, प्लाटिंग आदि नही करें, प्रतिवादी संख्या एक [illegible]यत नौ वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा करावायें बिना विक्रय या अन्य प्रकार से ह[illegible]रण नही करें और रिकार्ड एंव मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें, प्रतिवादी संख्या दस रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस दिनांक 23.09.2021 को जारी किये गये। दिनांक 13.01.2022 को प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karn
Date: 2023.01.11 16:04:26 IS
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जो बाद तामिल पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 2 दिनांक 02.02.2022 को उपस्थित। आगामी तारीख पेशी 09.02.2022 को प्रतिवादीगण की तामिल पूर्ण होने के पश्चात् भी कोई उपस्थित नही। दिनांक 07.04.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली में बहस करने हेतु निवेदन किया।

बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जाकर दिनांक 07.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अतः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 07.04.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 05.05.2022 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2022/6489 दिनांक 28.07.2022 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। बहस वकील वादी की कुर्रेजात रिपार्ट पर बहस सुनी गयी एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भांकरोटा कंला पटवार हल्का भांकरोटा कंला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1205/1 रकबा 0.2200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1206/1 रकबा 0.4600 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां					
खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खातेदार का नाम
494	1205/1 1206/1	0.22 0.46	चाही 2 चाही 2	6.28 13.34	कैलाश पुत्र नारायण हि. 1/32 गणेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/80 गोपाल पुत्र वीण्या हि.1/16 छगनलाल पुत्र रामेश्वर हि. 1/80 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर हि. 1/80 मैसर्स रायल आरकेड ट्रेवल केयर प्रा. लि. पंजी0 कार्या0 कोटावाला मार्केट त्रिपोलिया बाजार हि0 3/4 मोती पुत्र वीण्या हि0 1/16 रामकिशोर पुत्र रामेश्वर हि0 1/80 रामस्वरूप पुत्र नारायण हि0 1/32 श्रवण पुत्र रामेश्वर हि0 1/80 समस्त जाति ब्राह्मण सा. देह
कुल किता	2	0.68	–	19.72	

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karn
Date: 2023.01.11 16:04:26 IS
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित कुरैजात (विभाजन) प्रविष्टियां					
क्र. सं	खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खातेदार का नाम
1.	1205/1 1206/1	0.1650 0.3450	चाही 2 चाही 2		मैसर्स रॉयल आरकेड ट्रेवल केयर प्रा0 लि0 पंजी. कार्या. कोटावाला मार्केट त्रिपोलिया बाजार जयपुर
	कुल किता 2	0.5100	—	14.79	
2.	1205/1 1206/1	0.0550 0.1150	चाही 2 चाही 2		कैलाश पुत्र नारायण हि. 213/1700 रामस्वरूप पुत्र नारायण हि. 212/1700 गणेश पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 छगनलाल पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 रामकिशोर पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 श्रवण पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 गोपाल पुत्र वीण्या हि. 425/1700 मोतीलाल पुत्र वीण्या हि. 425/1700 समस्त जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार
	कुल किता 2	0.1700	—	4.93	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी,** जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास श्री एकता **काबरा, आर.ए.एस.**

वाद संख्या : 126 / 2021

1. मैसर्स रॉयल आरकेड ट्रेवल केयर प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय– कोटावाला मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। जरिये निदेशक श्री आलोक कोटावाला पुत्र श्री हरिदास।

..........वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण
2. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण
3. गणेश पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
4. छगनलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
5. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
6. रामकिशोर पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
7. श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण
8. गोपाल पुत्र बीण्या जाति ब्राहम्ण
9. मोती पुत्र बीण्या जाति ब्राहम्ण
   निवासी ग्राम भांकरोटा कंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
   पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव सीमाकंन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भांकरोटा कंला पटवार हल्का भांकरोटा कंला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1205/1 रकबा 0.2200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1206/1 रकबा 0.4600 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 0.6800 हैक्टयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां					
खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खातेदार का नाम
494	1205/1 1206/1	0.22 0.46	चाही 2 चाही 2	6.28 13.34	कैलाश पुत्र नारायण हि. 1/32, [illegible] पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/80 गोपाल पुत्र [illegible] हि. 1/16 छगनलाल पुत्र रामेश्वर [illegible] 1/80 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर हि. 1/80 [illegible] रायल आरकेड ट्रेवल केयर प्रा. लि. [illegible] कार्या0 कोटावाला मार्केट त्रिपोलिया बाजार हि0 3/4 मोती पुत्र वीण्या हि0 1/16 रामकिशोर पुत्र रामेश्वर हि0 1/80 रामस्वरूप पुत्र नारायण हि0 1/32 श्रवण पुत्र रामेश्वर हि0 1/80 समस्त जाति ब्राह्मण सा. देह
कुल किता	2	0.68	–	19.72	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karna
Date: 2023.01.11 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी

क्र. सं	खसरा नं.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खातेदार का नाम
	प्रस्तावित कुरैजात (विभाजन) प्रविष्टियां				
1.	1205/1 1206/1	0.1650 0.3450	चाही 2 चाही 2		मैसर्स रॉयल आरकेड ट्रेवल केयर प्रा0 लि0 पंजी. कार्या. कोटावाला मार्केट त्रिपोलिया बाजार जयपुर
	कुल किता 2	0.5100	—	14.79	
2.	1205/1 1206/1	0.0550 0.1150	चाही 2 चाही 2		कैलाश पुत्र नारायण हि. 213/1700 रामस्वरूप पुत्र नारायण हि. 212/1700 गणेश पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 छगनलाल पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 रामकिशोर पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 श्रवण पुत्र रामेश्वर हि. 85/1700 गोपाल पुत्र वीण्या हि. 425/1700 मोतीलाल पुत्र वीण्या हि. 425/1700 समस्त जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार
	कुल किता 2	0.1700	—	4.93	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा उप-खण्ड अधिकारी

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे ... के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (दक्षिण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested